प्रार्थना पत्र अन्तर्गत : धारा 212 आरटीए

प्रकरण संख्या 145/2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी |
|---|---|---|
| 28/12/2020 | यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता बलवंत बुडानिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अधिवक्ता/प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अनुरोध किया कि प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का है तथा आवेदक के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। अतः आवेदक को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना गया। पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्राथमिक दृष्टि से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 15 एसपीएम के खाता संख्या 55/65 प०न० 8/194 मु०न० 24 कि०न० 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 प०न० 8/195 मु०न० 29 कि०न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3 कुल खाता 29 किता में 5.060 है० नहरी आराजी मय खाला रास्ता के राजस्व रिकार्ड की आगामी पेशी दिनांक 13.01.2021 तक यथास्थिति बनाये रखें।<br><br>अप्रार्थीगण को 24 घण्टे के अन्दर रजिस्टर्ड एडी० नोटिस जारी किया जावें जिसके लिए प्रार्थीगण के अधिवक्ता रजिस्टर्ड एडी की रसीद आइन्दा तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावे। अप्रार्थीगण के उपस्थित होने पर प्रार्थी के अधिवक्ता बहस करने हेतु बाध्य होंगे यदि बहस नहीं की जाती है, तो अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.01.2021 को पेश हो।<br><br>(हवाई सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सादुलशहर | |
| 19/01/2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र O-23-R(1)(3B) CPC पेश किया गया। वकील प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र withdraw करना चाहता है, क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के [illegible] [illegible] हो चुका है | |